निर्णय न्यायालय श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 14/2016 वाद
दायरा दिनांक :– 04.07.2012
निर्णय दिनांक :– 9.6.17

उनवान

1. कैलाबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि बद्रीनाथ जाति नाथ निवासी बोरदा हाल मुकाम जैतोदा तेजाजी तहसील मांगरोल ।
2. चमेली बाई पुत्री धन्नालाल पत्नि रामदयाल जाति नाथ निवासी बोरदा हॉल मुकाम रंगबाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.
2. तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
3. बाबूलाल पुत्र धन्नालाल जाति नाथ निवासी बोरदा
4. नन्दकिशोर पुत्र मदनलाल जाति नाथ निवासी बोरदा हाल निवासी आवली रोजडी रावतभाटा रोड कोटा।
5. हंसराज पुत्र मदनलाल पत्नी रतननाथ जाति नाथ निवासी बरडा तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. मांगीबाई पुत्री मदनलाल पत्नी रतननाथ जाति नाथ निवासी बरडा तहसील खानपुर जिला झालावाड
7. रोशनबाई पुत्री मदनलाल पत्नी भँवरलाल जाति नाथ निवासी बरडा तहसील खानपुर जिला झालावाड
8. मोहरबाई पुत्री मदनलाल पत्नी भैरूनाथ जाति नाथ निवासी खेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
9. पिंकीबाई पुत्री मदनलाल पत्नी भैरूनाथ जाति नाथ निवासी फलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
10. मोहनलाल पुत्र गोपीलाल जाति नाथ निवासी बोरदा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
11. देशराजसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बोरदा हालमुकाम सीएडी चौराहा छीपाबड़ौद
12. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 133 ग्राम बोरदा
निर्णय दिनांक :– 9.6.17

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा अपीलान्ट
2. रामेश्वर प्रसाद गोयल रेस्पोडेन्ट

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 133 ग्राम बोरदा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय की पेश कि गयी कि आराजी खसरा नंबर 126 रकबा 1 बीघा 0 बिस्वा, खसरा नंबर 127 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 128 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

260/240 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 261/125 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किता 5 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, वाके बोरदा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 56 सम्वत् 2057 ता 60 से अपीलार्थी के पिता श्री धन्ना वल्द दल्ला कौम नाथ साकिन दे हके खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी थी। खसरा नंबर 232 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 247 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 248 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 249 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 250 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा किता 5 रकबा 26 बीघा 03 बिस्वा मौजा बोरदा तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है, उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संख्या 81 सम्वत् 2057 ता 60 से अपीलार्थी के पिता धन्ना वल्द दल्ला कौम नाथ सा. दे हके हिस्सा 1/3 से खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी थी।

उक्त वर्णित आराजी खातेदार अपीलार्थी के पिता श्री धन्ना का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल केवल दो पुत्रो रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 ता 9 के पिता श्री मदनलाल पुत्र धन्ना के नाम खोला गया है, जबकि मृतक खातेदार धन्ना की अपीलार्थी पुत्रियां जीवित होने के बावजूद भी उनका नाम इन्तकाल मे दर्ज नही किया गया है, इसलिए उक्त अपील प्रथम दृष्टया की काबिल खारिजी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व मदनलाल पुत्र धन्ना ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके अपीलार्थी के पिता श्री धन्ना का फौती इन्तकाल मे केवल दो ही पुत्र दर्ज करवाये जबकि अपीलार्थी मृतक धन्ना की जायन्दा पुत्रियां जीवित होने के बावजूद भी उनका नाम इन्तकाल मे दर्ज नही किया और रेस्पोडेन्ट नम्बर – 1 मे भी मृतक धन्ना के वारिसान की कोई जांच नही की और रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व मदनलाल को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त इन्तकाल संख्या 133 निर्णित करने मे भारी त्रुटि की है, इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 133 ग्राम बोरदा काबिल खारिजी है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने इन्तकाल संख्या 133 बिना जांच पड़ताल के अपीलार्थी मृतक खातेदार धन्ना की पुत्रियां होने के बावजूद भी उनका नाम फौती इन्तकाल मे दर्ज नही किया इसलिए उक्त इन्तकाल काबिल खारिजी है। अपील की मद् नम्बर 2 मे वर्णित आराजी वर्तमान मे खाता संख्या 79 मे स्थित आराजी खसरा नंबर 232 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 247 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 248 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा किता 3 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा तथा खाता संख्या 80 मे स्थित आराजी खसरा नंबर 249 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा तथा खाता संख्या 81 में स्थित आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा मे दर्ज है। उक्त इन्तकाल संख्या 133 दिनांक 01.09.1997 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 30.06.2016 को अपीलार्थी द्वारा पटवारी पटवार हल्का से अपने खाते की नकले प्रापत करने पर हुआ अपीलार्थी ने उसी दिन पटवारी पटवार हल्का से इन्तकाल व खाते की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया और नकले दिनांक 30.06.2016 को प्राप्त होने पर उक्त अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे तथा अपील की प्रस्तुति मे एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट द्वारा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 त 5 की और से श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल एड़वोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अपीलान्ट द्वार अपने पक्ष के समर्थन मे नकल इन्तकाल नंबर 133 ग्राम बोरदा, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्व 2069-72 खाता संख्या 63, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2069-72 खाता संख्या 79, नकल

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

निरन्तर—2पर

Scanned by CamScanner

राजस्व न्यायालय कोई विचारण नही कर सकते है। आर.आर.डी 7 पेज नंबर 19 रूलिंग पेश है। अतः उक्त तीनो बिन्दुओं 1. लिमिटेशन मे नही है। 2. अपीलान्ट मृतक धन्ना की पुत्रिया है, कोई साक्ष्य नही है। 3. भूमि आवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ ही नही अपितु पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील खारिज फरमावें। अपीलान्ट कथन है, कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट नंबर 2 चमेली बाई से प्रार्थना–पत्र लगवाया है। चमेलीबाई के कहने से ही यह नही माना जा सकता कि केलाबाई की सहमति इन्तकाल खुलवाने में थी। मुझे तो ज्ञान दिनांक 30.06.2016 का हुआ था। इनका यह कथन है, कि अपीलान्ट दुसरे पिता की पुत्रियां है। रेस्पोडेन्ट यह स्वयं सिद्व करें कि दुसरे पिता की पुत्रिया है। अपील स्वीकार फरमावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकरान् सुनी गई। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। प्रस्तुत नकल नामान्तकरण सख्या 133 ग्राम बोरदा के अनुसार मृतक धन्ना का फौती इन्तकाल खोलते समय नामान्तकरण संख्या 133 में दर्शाये गये सजरे अनुसार बाबूलाल, मदनलाल पुत्र अंकित है। माता फौत एवं पुत्रिया नही होना अकित है। सरपंच ग्राम पंचायत बिलेण्डी द्वारा उक्त इन्तकाल दिनांक 01.09.1997 को तस्दीक किया गया है, जिसमे लिखा है, कि इन्तकाल नंबर 133 वास्ते तस्दीक समक्ष कोरम पेश किया गया। धन्ना वल्द दल्ला जाति नाथ का देहान्त हो चुका है। अत: खाते से धन्ना का नाम खारिज किया जाकर नाम वारिसान दर्ज किया जावे। फीस इन्तकाल नियम अनुसार वसूल हो। इन्तकाल के अवलोकन से यह कही नही लिखा है, कि अपीलान्ट केला बाई व चमेलीबाई द्वारा इन्तकाल खोलते समय अपनी सहमति दी है। इससे यह साबित होता है, कि अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल खोलते समय अपनी सहमति नही दी गई है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा धन्नालाल के जायद पुत्रीयों की सही तरीके से जांच नही की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट को धन्नालाल की पुत्री नही होना बताया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिसमें अपीलान्ट धन्नालाल की पुत्री नही होना साबित हो सके। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल की नकल दिनांक 30.06.2016 को लेने पर ज्ञान होना बताया है। अपीलान्ट क्रम 2 चमेलीबाई द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट क्रम 1 केलाबाई की अपील आशिक स्वीकर किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नंबर 133 ग्राम बोरदा निरस्त किया जाता है। मृतक खातेदार धन्नालाल के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क्रम बाबूलाल एवं मृतक मदनलाल के वारिस रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ता 9 के साथ अपीलान्ट नं0 1 केलाबाई व नाम जोड कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

... २ पपाप संख्या 133 ग्राम बोरदा

निरन्तर---२०१७

Scanned by CamScanner